रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2013/पौष 13, 1934
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2013/PAUSA 13, 1934

## परमाणु ऊर्जा विभाग
### अधिसूचना
मुंबई, 21 दिसम्बर, 2012

**सा.का.नि. 7(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा अनुसंधान केन्द्र में निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आरंभिक गठन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे पदधारी जो विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 26/10(4)/97-सीसीएस/134, तारीख 23 फरवरी, 2000 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पद को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) के रूप में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) | 1* (2012)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन बैंड -4 ; 37400-67100 रु0 + ग्रेड वेतन 8900 रु0 | चयन | आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन द्वारा । | प्रोन्नति :<br><br>ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0 की श्रेणी में छह वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।<br>प्रतिनियुक्ति :<br>भारतीय पुलिस सेवा काडर से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अन्य सदृश सेवाओं या संगठनों से ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 रु0 में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक सेवा कर ली है ।<br><br>सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन :<br>राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध सेवाओं या संगठनों से सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए थे |

| | |
|---|---|
| | या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 रु0 में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक सेवा कर ली थी ।<br><br>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी ।<br><br>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br><br>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।<br><br>टिप्पण 4 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगा ।<br><br>टिप्पण 5 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे/इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । |

| | |
|---|---|
| | टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष<br>2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य<br>3. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य<br>4. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य<br>5. सुसंगत विद्या विशेष का विशेषज्ञ जिसे सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य<br>6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नामनिर्देशिती - सदस्य | लागू नहीं होता |

[सं. 26/1(1)/2009-सीसीएस/1046]

**स्वाति पाण्डेय, निदेशक**

**स्पष्टीकारक ज्ञापन** :— परमाणु ऊर्जा विभाग अपने कार्यालय ज्ञापन सं0 26/10(4)/97-सीसीएस/134 तारीख 23 फरवरी, 2000 के उपबंधों के अनुसार भाभा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) की नियुक्ति करेगा ऐसा आरंभिक गठन इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा को जारी रखने के लिए अपेक्षित है । इस आरंभिक गठन के उपबंध करने से और इन नियमों के उपबंधों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2012

**G.S.R. 7(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Security and Co-ordination), Bhabha Atomic Research Centre in the Department of Atomic Energy, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Director (Security and Co-ordination, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the pay band and grade pay/pay scale.**—The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Initial Constitution.**—The incumbents of the posts specified in the Schedule holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM No. 26/10(4)/97-CCS/134, dated 23rd February, 2000 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as Director (Security and Co-ordination) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

5546/13-2

## SCHEDULE

| Name of the Post. | Number of Post. | Classification. | Pay Band and Grade Pay/ Pay scale. | Whether selection Post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition. | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Director (Security and Co-ordination). | 1 * (2012) * subject to variation depending on workload | General Central Service Group-'A'-Gazetted (Non-Ministerial) | Pay Band-4 Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8900/- | Selection | Not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application. | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion failing which Deputation and failing both Direct Recruitment / re-employment | Promotion:<br>Chief Security Officers in PB-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600 who have completed six years of qualifying service in the grade.<br><br>Deputation:<br>Officers from Indian Police Service Cadre or officers from other analogous services or organizations related to national security holding posts in analogous grade or in the immediate lower grade having grade pay of Rs.8700 with minimum qualifying service of two years<br><br>Direct Recruitment/ Re-employment:<br>Officers retired from services or organizations related | 1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairman<br>2 Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member<br>3 Additional Secretary, Department of Atomic Energy - Member<br>4. Inspector General-(Security), Department of Atomic Energy - Member<br>5. Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy - Member<br>6. Department of Personnel and Training nominee - Member | Not applicable |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | to national security and were holding posts in analogous grade or in the immediate lower grade having grade pay of Rs.8700 with minimum qualifying service of two years<br><br>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.<br><br>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | be deemed to be service rendered in the correspondiog grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointmeot on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Cammission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendationa of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacemeat grade without any upgradation.<br><br>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.<br><br>Note 5: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion<br><br>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. | | |

[No. 26/1(1)/2009-CCS/1046]

SWATI PANDEY, Director

**Explanatory Memorandum:** The Department of Atomic Energy made the appointments of Director (Security and Co-ordination) in Bhabha Atomic Research Centre in accordance with the provisions of its Office Memorandum No.26/10(4)/97-CCS/134 dated February 23, 2000. As such the initial constitution is required for continuation of services under the provisions of these rules being made by this Department. By providing this initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules no one is being adversely affected.

55 GI/13-3

## अधिसूचना

मुंबई, 21 दिसम्बर, 2012

**सा.का.नि. 8(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परमाणु ऊर्जा विभाग में केन्द्रीयकृत सुरक्षा काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (सुरक्षा काडर) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन.**—अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट ऐसे पदधारी जो विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/1/31/87-सीसीएस/571, तारीख 6 जुलाई, 1995 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पदों को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले मुख्य सुरक्षा अधिकारी/उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी के रूप में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. **सेवा का दायित्व.**—इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी | 03* (2012)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन बैंड - 3 ; 1500-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0 | चयन | लागू नही होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । | प्रोन्नति :<br><br>ऐसे उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 की श्रेणी में पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।<br><br>प्रतिनियुक्ति :<br><br>भारतीय पुलिस सेवा काडर से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अन्य सदृश सेवाओं/संगठनों से ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 6600 रु0 में न्यूनतम पांच वर्ष अर्हक सेवा कर ली है । |

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 4 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगा ।

टिप्पण 5 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस

| | |
|---|---|
| | नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| 1. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - अध्यक्ष<br>2. परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा मामलों के भारसाधक अपर सचिव/संयुक्त सचिव, - सदस्य<br>3. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य<br>4. बाहर का एक विशेषज्ञ जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी | 07* (2012)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन बैंड - 3 ; 1500-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 | चयन | लागू नहीं होता |

55 41/13-4

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | उनके किए दो वर्ष जिनको प्रोन्नति पर नियुक्त किया गया है । |

| (10) | (11) |
|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । | प्रोन्नति :<br><br>ऐसे सुरक्षा अधिकारी जिन्होने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 और वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 की श्रेणियों में छह वर्ष सम्मिलित अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।<br><br>प्रतिनियुक्ति :<br><br>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अन्य विभागों से ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 5400 रु0 में न्यूनतम पांच वर्ष अर्हक सेवा कर ली है ।<br><br>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी ।<br><br>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि |

| | |
|---|---|
| | सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br><br>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।<br><br>टिप्पण 4 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगा ।<br><br>टिप्पण 5 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| 1. परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा मामलों के भारसाधक अपर सचिव/संयुक्त सचिव - अध्यक्ष<br>2. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य<br>3. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य<br>4. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से भिन्न परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी एकक का प्रधान - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. सुरक्षा अधिकारी | 42* (2012)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 और उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 | चयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (10) | (11) |
|---|---|
| प्रोन्नति : 80 प्रतिशत विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा चयन ।<br>20 प्रतिशत अचयन | 1. विभागीय अर्हता परीक्षा<br><br>ऐसे सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए) (वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और ऐसे सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) (वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु0) जिन्होंन सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए) और सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) की श्रेणियों में छह वर्ष सम्मिलित अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।<br>टिप्पण : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित है ।<br>2. अचयन<br>ऐसे सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) (वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0) जिन्होंने सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए) और सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) की श्रेणियों में आठ वर्ष सम्मिलित अर्हक सेवा पूरी कर ली है । |

| | |
|---|---|
| | टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी ।<br><br>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br><br>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| 1. परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा मामलों के भारसाधक, अपर सचिव/संयुक्त सचिव - अध्यक्ष<br>2. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य<br>3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंध निदेशालय - सदस्य<br>4. प्रधान, कार्मिक प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य | लागू नहीं होता |

[सं. 26/1(1)/2009–सीसीएस/1046]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

**स्पष्टीकारक ज्ञापन** :— परमाणु ऊर्जा विभाग अपने कार्यालय ज्ञापन सं0 20/1/31/87-सीसीएस/571 तारीख 6 जुलाई, 1995 के उपबंधों के अनुसार सुरक्षा कर्मचारिवृंद और अधिकारियों की नियुक्ति करेगा । ऐसा आरंभिक गठन, इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवाओं को जारी रखने के लिए अपेक्षित है । इस आरंभिक गठन के उपबंध से और इन नियमों के उपबंधों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

55 GI/13-5

NOTIFICATION 022-22022501

Mumbai, the 21st December, 2012

**G.S.R. 8(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in Centralized Security Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Security Cadre) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.**—The incumbents of the posts specified in the Schedules holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM No.20/1/31/87-CCS/571, dated July 06, 1995 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as Chief Security Officer/Deputy Chief Security Officer/Security Officer immediately before the commencement of these rules shall be accounted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. **Liability of Service.**— Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

## SCHEDULE

| Name of Post. | Number of Posts. | Classification. | Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale. | Whether Selection Post or Non-selection Post. | Age limit for Direct Recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition. | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. Chief Security Officer. | 3 * (2012) * Subject to variation depending on workload | General Central Service-Group-'A'-Gazetted (Non-Ministerial) | Pay Band-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600/- | Selection | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Promotion failing which by deputation | Promotion:<br><br>Deputy Chief Security Officers in PB-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600 who have completed five years qualifying service in the grade.<br><br>Deputation:<br><br>Officers of Indian Police Service Cadre or from other analogous services/ organizations related to national security holding posts in the analogous grade or immediate lower grade having grade pay of Rs.6600 with minimum qualifying service of five years.<br><br>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year. | 1. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Chairman<br>2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Atomic Energy in charge of security matters-Member<br>3. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy - Member<br>4. One outside expert to be nominated by the Chairman of the Committee - Member | Not applicable |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.<br><br>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.<br><br>Notr 5: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion<br><br>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Deputy Chief Security Officer. | 7 * (2012) * Subject to variation depending on workload | General Central Service-Group 'A'-Gazetted (Non-Ministerial) | Pay Band-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/- | Selection | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Two years for those who are appointed on promotion | Promotion failing which by deputation | Promotion:<br>Security Officers who have completed six years combined qualifying service in the grades of PB-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay of Rs.4800 and PB-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay of Rs. 5400.<br><br>Deputation:<br>Officers from other departments of Central Government/State Governments holding posts in the analogous or in the immediate lower grade having Grade Pay of Rs.5400 with minimum qualifying service of 5 years.<br><br>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.<br><br>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 3: For the purpose of computing | 1. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Atomic Energy in charge of security matters- Chairman<br><br>2. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy - Member<br><br>3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member<br><br>4. Head of a Unit of Department of Atomic Energy other than Bhabha Atomic Research Centre - Member | Not applicable |

minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 4: The selection will involve interview of the candidates.

Note 5: The Department officers in the feeder category who

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion<br><br>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3. Security Officer. | 42* (2012) * Subject to variation depending on workload | General central service-Group B Gazetted (Non-Ministerial) | Pay Band-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4800 and on completion of 4 years of regular service in the grade, Pay Band-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.5400 | Selection | Nat Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Promotion:<br><br>Selection by Departmental qualifying examination - 80 per cent.<br><br>Non-selection - 20 per cent | 1. Departmental Qualifying Examination:<br><br>Assistant Security Officers(A) (PB 2 Rs 9300-34,800 + Grade Pay Rs.4200) who have completed six years qualifying service in the grade, and Assistant Security Officers(B) (PB-2 Rs 9300-34,800 + Grade Pay Rs.4200) who have completed six years combined qualifying service in the grades of Assistant Security Officer (A) and Assistant Security Officer(B)<br><br>Note. The selection will involve interview of the candidates. | 1. Additional Secretary/Joint Secretary, DAE in charge of security matters, Department of Atomic Energy - Chairman<br><br>2. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy - Member<br><br>3. Chief Administrative Officer, Directorate of Construction, Services and Estate Management - Member<br><br>4. Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre - Member | Not applicable |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Non-selection:<br><br>Assistant Security Officers (B) (PB-2 Rs.9300-34,800 + Grade Pay Rs.4200) who have completed eight years combined qualifying service in the grades of Assistant Security Officer(A) and Assistant Security Officer (B)<br><br>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.<br><br>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note ?: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be | | | | | | | | | | |

55 96/13-7

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

[No. 26/1(1)/2009-CCS/1046]

SWATI PANDEY, Director

**Explanatory Memorandum:** The Department of Atomic Energy made the appointments of security staff and officers in accordance with the provisions of its Office Memorandum No.20/1/31/87-CCS/571 dated July 06, 1995. As such the initial constitution is required for continuation of services under the provisions of these rules being made by this Department. By providing this initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules no one is being adversely affected.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.